भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3004

09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दमण एवं दीव में चिकित्सा सुविधाएं

3004. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश दमण एवं दीव में चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों/स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों से इलाज के लिए पैसे लिए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त समस्या के समाधान तथा लोगों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और इसका कार्यान्वयन और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार दादरा नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की संख्या निम्नानुसार है:

उप-केंद्र		पीएचसी		सीएचसी	
ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
94	3	12	2	3	1

इसके अलावा, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में आने वाले रोगियों के जेबी खर्च (ओओपीई) को कम करने के लिए, सरकार ने 2015 में एनएचएम के तहत मुफ्त दवा सेवा पहल और मुफ्त निदान सेवा पहल शुरू की। यह पहल जिला अस्पताल और निचले स्तर की सुविधाकेंद्रों में स्वास्थ्य परिचर्या चाहने वालों को मुफ्त दवाओं और निदान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के प्रयासों की कमी को पूरा करती है।

******